निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 550) पटना, सोमवार, 19 मई 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
16 मई 2025

एस॰ ओ॰ 133, दिनांक 19 मई 2025—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 या 2021-22 या 2022-23 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम,ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए ,जिनके उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर -9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्ररूप जीएसटीआर -9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था लेकिन प्ररूप जीएसटीआर -9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में असफल रहे और जो उक्त विवरण तत्पश्चात 31 मार्च ,2025 को या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर -9ग प्रस्तुत करें , जो कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर -9 प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के आधिक्य में है,का अभित्यजन करते है।

परंतु उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से भुगतान की गई विलंब फीस की कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी।

[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-17)2087)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार, पटना ।

16 मई 2025

एस० ओ० 133, दिनांक 19 मई 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-17)2087)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 16th May 2025

S.O. 133, Date 19th May 2025—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act, for the financial years 2017-18 or 2018-19 or 2019-20 or 2020-21 or 2021-22 or 2022-23, which is in excess of the late fee payable under section 47 of the said Act upto the date of furnishing of FORM GSTR-9 for the said financial year, for the class of registered persons, who were required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in FORM GSTR-9, and furnish the said statement in FORM GSTR-9C, subsequently on or before the 31st March, 2025:

Provided that no refund of late fee already paid in respect of delayed furnishing of FORM GSTR-9C for the said financial years shall be available

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17)2087)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)550-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in